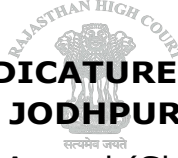




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 95/2026

Lucky S/o Shri Rajendra, Aged About 19 Years, Resident Of
Neniya, Tehsil Parbatsar, District Didwana Kuchaman, Rajasthan.
(Presently Lodged In Sub District Jail Merta)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Vipin Meghwal S/o Hanuman Ram, Resident Billu, P.s.
Badu, District Didwana Kuchaman.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Narpat Ram
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

28/03/2026

01. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त को उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवक संख्या 02/2026 बाबत शीघ्र सुनवाई पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आज ही सुनवाई की जाती है।
02. प्रत्यर्थी संख्या 2 के नोटिस की तामील हो चुकी है।
03. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह दायिद्विक अपील अन्तर्गत धारा 14-ए(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस थाना बडु, जिला डीडवाना-कुचामन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1), 111(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 व 27 आयुध अधिनियम के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 09.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
04. बहस अपील पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
05. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में आहत विपिन द्वारा अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त का घटना में शामिल होना नामजद नहीं किया



है और पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान यह नतीजा निकाला है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने जितेन्द्र उर्फ जितु को फरारी कटवाने में सहयोग किया। पुलिस भी अपीलार्थी/अभियुक्त को मारपीट में शामिल होना नहीं मानती है। अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 24.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस आधार पर दाण्डिक अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्त को रिहा किये जाने का निवेदन किया।

06. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए दाण्डिक अपील को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

07. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधनीपूर्वक अवलोकन किया। आहत/मुस्तगीस के बयान और पुलिस की चार्ज रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

08. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति, तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस न्यायालय की राय में अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

09. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण मेड़ता द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.01.2026 को अपास्त किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त **लक्की पुत्र राजेन्द्र**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J